न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 64 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. स्व.सताराम पुत्र केसराराम के वारीसान	**बनाम**	1.खेराजराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी हरजियाणियों की ढाणी, सांवलोर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।
1/1हनुमानराम पुत्र सताराम उम्र 60वर्ष		
1/2वालाराम पुत्र सताराम उम्र 50 वर्ष		
1/3वांकाराम पुत्र सताराम उम्र 45 वर्ष		
1/4नवलाराम पुत्र सताराम उम्र 40 वर्ष		
2. गोमाराम पुत्र किशनाराम उम्र 80 वर्ष		2.तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर।
3. अनाराम पुत्र किशनाराम उम्र 55 वर्ष		
4. जगमालराम पुत्र किशनाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी हरजाणियों की ढाणी, सांवलोर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 265/2013 बअनवान खेराज बनाम सताराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015।

उपस्थिति

1. वकील श्री डुंगरसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बाबूलाल जाणी रामावत रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 13.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 व 188 के अन्तर्गत एक वाद इस आशय का पेश किया कि उसकी खातेदारी खेत मौजा हरजियाणियों की ढाणी खसरा संख्या 257 रकबा 22.14 बीघा आया है, अपीलांट/प्रतिवादीगण उसके सेढा पड़ौसी है, अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ने उसके खेत के दक्षिणी पश्चिमी सेढे पर रकबा 05.05 बीघा तथा अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने उसके खेत के इसी सेढे पर रकबा 02.11 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को बेदखंल कर कब्जा रेस्पोडेंट/वादी को दिलाया जाये। अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 07.05.2014 को अपीलांटगण उपस्थित नहीं हुए। अपीलांटस की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया न्यायालय में हाजिर होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांटस की ओर से वकालतनामा व जवाबदावा पेश करने की जिम्मेवारी ली परन्तु उन्होंने अपीलांटस को न तो आगामी तारीख पेशी की सूचना दी और जानकारी के अभाव में न अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुऐ तथा दिनांक 18.07.2014 को अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित हुआ। दिनांक 10.07.2015 को वाद की पत्रावली सुनवाई हेतु लोक अदालत कैम्प सणाऊमें रखी गई जिसकी अपीलांट/प्रतिवादीगण को कोई सूचना नहीं दी गई, तथा लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 07.05.2014 को अपीलांटगण उपस्थित नहीं हुए। अपीलांटस की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया न्यायालय में हाजिर होकर अपीलांटस की ओर से वकालतनामा व जवाबदावा पेश करने की जिम्मेवारी ली परन्तु उन्होंने अपीलांटस को न तो आगामी तारीख पेशी की सूचना दी और जानकारी के अभाव में न अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुऐ तथा दिनांक 18.07.2014 को अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित हुआ। दिनांक 10.07.2015 को वाद की पत्रावली सुनवाई हेतु लोक अदालत कैम्प सणाऊमें रखी गई जिसकी अपीलांट/प्रतिवादीगण को कोई सूचना नहीं दी गई, रेस्पोडेंट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की धारा 18 से 21 की पालना नहीं की गई है इसके बावजूद भी 10.07.2015 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि मेरी खातेदारी भूमि पर अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 ने जबरन अतिक्रमण कर रखा है। मेरी खातेदारी भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटवाने के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है वो न्यायासंगत एवं विधि की मंशा के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत में एकपक्षीय पारित किया गया है जिसकी अपीलांट पूर्व में जानकारी नहीं थी स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा निर्णय के दो साल बाद आराजी से बेदंखल की अपीलांटस को धमकी देने पर निर्णित प्रकरण की जांच कराकर दिनांक 28.04.2017 को नकले प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया एवं अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिनांक 10.07.2015 को वाद की पत्रावली सुनवाई हेतु लोक अदालत कैम्प सणाऊमें रखी गई जिसकी अपीलांट/प्रतिवादीगण को कोई सूचना नहीं दी गई, रेस्पोडेंट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की धारा 18 से 21 की पालना नहीं की गई है इसके बावजूद भी 10.07.2015 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की अपील को रिमाण्ड करना उचित होगा।

अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 265/2013 बअनवान खेराज बनाम सताराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015 को अपास्त करते हुए मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार चौहटन की उपस्थिति में मौके पर टीम गठित कर उभयपक्ष की भूमि की पुनः पैमाईश करवाकर स्पष्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सीमांकन करे और यदि रेस्पोडेंट/वादी की खातेदारी भूमि पर अपीलांट/प्रतिवादीगण का अनाधिकृत कब्जा पाया जाता है तो कब्जे वाला अनाधिकृतभूमि का रकबा मौका फर्द मय स्पष्ट नक्शे में अंकन करते हुए रिकॉर्ड पर लेकर तदनुसार नये सिरे से निर्णय पारित करे।

13/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner